



बिहार स्टेट मिल्क को-ऑपरेटिव फेडरेशन लि०  
डेयरी डेवलॉपमेंट कॉम्प्लेक्स,  
पो०-बी०भी० कॉलेज, पटना-800014 (बिहार)

दूरभाष-0612-2228953,2224083,2228347, फ़ैक्स 0612-2228306

प्रोडक्ट मार्केटिंग सेल (पी०एम०सी०), पटना के अर्न्तगत  
(सुधा दुग्ध जन्य उत्पादों के वितरक हेतु निविदा प्रपत्र)

1. आवेदक का नाम:
2. आवेदक का पता:
3. आवेदन की तिथि :
4. आवेदक का  
दूरभाष एवं मोबाईल नं०:
5. पथ संख्या एवं क्षेत्र जिसके लिए  
आवेदन दिया गया है :

हस्ताक्षर

**बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन लि०**  
**डेयरी डेवलॉपमेंट कॉम्प्लेक्स,**  
**पो०-बी०भी० कॉलेज, पटना-800014 (बिहार)**

**निविदा जमा करने के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश**

1. पूर्ण भरे हुए निविदा प्रपत्र को निबंधित डाक/कुरियर सेवा से मुहर बन्द लिफाफा में बिहार स्टेट मिल्क को-ऑपरेटिव फेडरेशन लि०, डेयरी डेवलॉपमेंट कॉम्प्लेक्स पो०-बी०भी० कॉलेज, पटना-800014 के कार्यालय में दिनांक 02.05.2018 को 05.00 बजे अपराह्न तक प्राप्त किया जायेगा । निविदा प्रपत्र को मुहर बन्द लिफाफा में जमा करना अनिवार्य होगा, जिस पर स्पष्ट रूप से सुधा दुग्ध जन्य उत्पादों के वितरक हेतु निविदा/आवेदित पथ का नाम/अन्तिम तिथि 02.05.2018 को 05.00 बजे अपराह्न तथा निविदादाता का नाम एवं पूर्ण पता लिखा रहना आवश्यक है ।
2. अन्तिम तिथि एवं निर्धारित समय तक प्राप्त निविदाओं को दिनांक 03.05.2018 को .11.00 बजे पूर्वाह्न में निविदादाताओं या उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति (प्राधिकृत किये जाने से सम्बन्धित प्राधिकार पत्र लाना आवश्यक होगा) की उपस्थिति में गठित समिति के द्वारा निविदा को खोला जायेगा । शर्तों के अनुरूप एवं अन्तर्वीक्षा में उपयुक्त पाये जाने पर ही निविदाता का चयन वितरक के रूप में किया जायेगा ।
3. निविदा प्रपत्र में दिए गए सभी वांछनीयता के सन्दर्भ में आवेदक को दस्तावेज एवं उसमें दर्शाये गये अग्रधन की राशि जमा करना अनिवार्य है । निविदा प्रपत्र के आवश्यक शर्तों के सन्दर्भ में प्रमाण के रूप में मांगे गये दस्तावेज या उसके अनुरूप मानक पूरा नहीं करने पर निविदा को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा, फलस्वरूप निविदादाता का निविदा स्वतः रद्द हो जायेगा ।
4. दुग्ध जन्य उत्पादों के वितरण के लिए निविदादाताओं को दर नहीं देना है । प्रोडक्ट पर पूर्व से घोषित डिस्ट्रीब्यूटर मार्जिन ही प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर को देय होगा ।
5. निविदा खोलने की तिथि को अगर अवकाश का दिन घोषित कर दिया जाता है तो अवकाश के बाद आने वाले पहले कार्य दिवस के दिन निविदा खोला जायगा ।
6. एकरारनामा की प्रतिलिपि संलग्न है, जिसमें निहित शर्त आपको मान्य होना चाहिए ।
7. अग्रधन की राशि प्रत्येक पथ हेतु 50,000=00 (पचास हजार रुपये) मात्र बैंक ड्राफ्ट के रूप में "बिहार स्टेट मिल्क को-ऑपरेटिव फेडरेशन लि०" के नाम से किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक, जो पटना में भुगतये हो, निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा ।

8. कार्य आवंटन होने के पश्चात् 30 दिनों के अन्दर एकरारनामा करना आवश्यक होगा। इसके लिए एकरारनामा एवं टेन्डर के अन्तर्गत सभी शर्त को पूरा करना आवश्यक होगा अन्यथा कंडिका (11) में अंकित शर्त के अनुरूप अग्रधन की राशि जब्त करने की कार्यवाई की जाएगी।
9. सशर्त, तार, फैंक्स, ई-मेल द्वारा भेजी गई निविदा स्वीकार नहीं किया जाएगा।
10. एक निविदादाता अधिकतम दो ही पथों के लिए निविदा भर सकते हैं। कार्य आवंटन नहीं होने की स्थिति में अग्रधन की राशि अधिकतम 120 दिनों में चेक द्वारा वापस कर दिया जायगा एवं कार्य आवंटन के पश्चात् कार्य नहीं करने की स्थिति में अग्रधन की जमा राशि में से 20 प्रतिशत जब्त कर शेष राशि ही वापस की जाएगी। चयनित निविदादाताओं द्वारा जमा की गई राशि की जमानत की राशि के रूप में रखा जाएगा, जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
11. विभिन्न पथों की विवरणी, जिसके लिए निविदा आमंत्रित की गयी है निम्नवत है।

**सुधा दुग्ध उत्पाद वितरण हेतु पथ एवं क्षेत्रों का विवरणी।**

क्रम संख्या	पथ का कोड नं०	पथ का क्षेत्र/स्थान
01	07	दिनकर चौक, राजेन्द्र नगर रोड न० 1 एवं रोड नं० 2, नाला रोड कदम कुआँ, जनक किशोर रोड, पीरमोहानी एवं लोहानीपुर (पूर्व एवं पश्चिम)
02	03	एन.एम.सी.एच. के पूर्वी एवं उत्तरी निकटवर्ती क्षेत्र, अशोक राज पथ तक (डंका इमली, आइ.डी.एच. कॉलोनी), भुतनाथ रोड, एल0आई0जी0, एम0आई0जी0 कॉलोनी, अगमकुँआ, ट्रांसपोर्टनगर, भागवत नगर, बड़ी पहाड़ी तक

12. दुग्ध जन्य उत्पाद का वितरण कार्य आवंटित होने पर सभी दुग्ध जन्य पदार्थ प्रतिदिन रेफ्रीजेरेटेड/इन्सुलेटेड गाड़ी से जिसकी क्षमता 800-1200 किलो (बड़ा ऑटो अथवा टाटा ऐस/महेन्द्रा जियो या उसके समकक्ष गाड़ी) की होनी चाहिए जिसमें इन्सुलेटेड बाक्स रख कर दही, पनीर, सुरभि, लस्सी, आदि बिक्रेताओं के बीच वितरण करना होगा। दुग्ध जन्य उत्पाद के वितरक के रूप में नियुक्त होने पर उपलब्ध उत्पादों को, वितरक के भण्डारण स्थल/कार्यालय तक प्रोडक्ट मार्केटिंग सेल, कॉम्फेड द्वारा पहुँचा कर दिया जायेगा।

देखा, पढ़ा और स्वीकार किया

आवेदक का हस्ताक्षर  
(ऑफिस मुहर के साथ) ।

बिहार स्टेट मिल्क को-ऑपरेटिव फेडरेशन लि०  
डेयरी डेवलॉपमेंट कॉम्प्लेक्स,  
पो०-बी०भी० कॉलेज, पटना-800014 (बिहार)

दुग्ध जन्य उत्पाद के वितरक हेतु आवेदन-पत्र (पाँच पृष्ठ में)

(कृपया मूल प्रति में ही बीड भरें एवं जमा करें)

आवेदनकर्ता अपने  
हाल का फोटो  
यहाँ चिपकाएँ

1. (क)पथ के क्षेत्र का नाम (जिसके लिए आवेदन दिया जा रहा है) :

(ख)पथ का कोड नं० :

2. आवेदक का नाम एवं पूरा पता:

लिंग :

जन्म तिथि :

शैक्षणिक योग्यता :

(न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक की छायाप्रति प्रमाण संलग्न करें)

दो स्थानिय गणमान्य व्यक्ति की अभियुक्ति (परिचयकर्ता के रूप में) पूरा पता एवं दूरभाष संख्या के साथ :

(क)

(ख)

3. आवेदक का अस्थित्व:

(क) स्वयं का स्वामित्व

(ख) साझेदारी

(ग) कम्पनी

(उपरोक्त से संबंधित दस्तावेज की छाया प्रति संलग्न करें)

4. स्थायी पता:

वर्तमान पता:

5. दूरभाष संख्या- निवास स्थान:

कार्यालय :

मोबाईल न० :

6. वर्तमान में किये जा रहे व्यवसाय का विवरण:

(क) वर्तमान व्यवसाय:

(ख) उपलब्ध गाड़ियों/आधारभूत संरचना (जो आवेदक के पास उपलब्ध है)

(1) वाहन का प्रकार/

(2) गाड़ी की मोडल संख्या/

(3) पंजीयन संख्या/

(4) वाहन का भार क्षमता/

(5) गाड़ी बन्द एवं छः तरफ से रेफ्रीजेरेटेड/इन्सुलेटेड है या नहीं

(ग) कार्यालय का पता एवं कम्पनी का नाम :

(घ) इस व्यवसाय में कब से जुड़े हुए हैं :

(ङ) कार्यालय का क्षेत्रफल :

7. कुल लागत पूँजी, जो व्यवसाय में लगा सकते हैं :

वित्तीय स्थिति/साख से संबंधित न्यूनतम 5 (पाँच) लाख रूपये का बैंक का सॉल्वेन्सी प्रमाण पत्र अथवा 5 (पाँच) लाख का फिक्सड डिपोजिट का प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें।

8. प्रस्तावित व्यवसाय में उपयोग होने वाले वाहन की विवरणी ।

गाड़ी का प्रकार :

(गाड़ी पाँच वर्षों से कम अवधि की रहने पर प्राथमिकता दी जायेगी)

(क) गाड़ी अपनी है अनुबंधित है :

(ख) गाड़ी की मोडल संख्या पंजीयन संख्या :

(ग) वाहन का भार क्षमता :

(घ) गाड़ी छः तरफ से बन्द एवं रेफ्रीजेरेटेड/ इन्सुलेटेड है या नहीं :

वितरण कार्य हेतु 800-1200 किलो क्षमता की बड़ी ऑटो अथवा टाटा एस/महेन्द्रा जियो की गाड़ी या उसके समकक्ष गाड़ी होनी चाहिए जिसमें इन्सुलेटेड बाक्स रख कर दही, पनीर, सुरभि, लस्सी, आदि विक्रेताओं के बीच वितरण करना अनिवार्य होगा ।

(औनर बुक, वैध रोड परमिट, बीमा का कागजात, भाड़े की गाड़ी रहने की स्थिति में वाहन मालिक से स्टाम्प पेपर पर प्राप्त दो वर्षों तक की एकरारनामा/सहमति पत्र अथवा शपथ पत्र, जिसमें गाड़ी भाड़ा पर चलने से सम्बन्धित आवश्यक शर्तों का उल्लेख हो की प्रति संलग्न करें।

09. प्रस्तावित कर्मचारियों एवं सेल्स मैन की विवरणी :-

(क) संख्या : -

(ख) योग्यता : -

(ग) अनुभव :-

10. शीघ्र खराब होनेवाले सामग्री या एफ0एम0सी0जी0 सामग्री की वितरक के रूप में अनुभव है या नहीं। यदि हाँ तो दस्तावेज के साथ वितरण प्रस्तुत करें।

11. वैकल्पिक विद्युत आपूर्ति हेतु जेनरेटर की उपलब्धता-

(क) क्षमता :-

(ख) संख्या :-

12. दुग्ध जन्य उत्पाद हेतु डीप-फ्रीजर की उपलब्धता :-

(क) क्षमता :-

(ख) संख्या :-

13. दुग्ध जन्य उत्पाद हेतु भण्डारण क्षेत्र :

(क) भण्डारण क्षेत्र का पता :-

(ख) क्षेत्रफल :-

14. क्या आपके पास कम्प्युटर की सुविधा उपलब्ध है :-  
(अगर हाँ तो ब्योरा दें)

15. पूर्व में पी0एम0सी0 सामग्रियों के वितरक के रूप में अगर अनुभव हो तो दस्तावेज के साथ विवरण प्रस्तुत करें ।

16. (क) पैन नम्बर (प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि संलग्न करें)

(ख) जी0एस0टी0 (निबन्धन संख्या, निबन्धन प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि संलग्न करें)

17. अग्रधन राशि के मद में ड्राफ्ट संख्या ..... दिनांक.....राशि राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक/शाखा का नाम ..... संलग्न किया जा रहा है।

18. (क) दुग्ध जन्य उत्पाद के वितरक हेतु आपकी रुचि क्यों है :-

(ख) उक्त पथ/क्षेत्र में प्रतिदिन अनुमानित बिक्री लक्ष्य क्या होगा ।  
(कि०ग्राम/लीटर में)

(ग)

बढ़ोत्तरी	छः माह बाद बिक्री लक्ष्य	एक वर्ष बाद बिक्री लक्ष्य

#### आवश्यक शर्त

निविदा प्रपत्र के कंडिका 9,,11,12,13,14 के सम्बन्ध में उपलब्ध आवश्यक योग्यता अगर निविदा देते समय तक न हो तो निविदादाता द्वारा कार्य आवंटन के अधिकतम 21 दिनों के अन्दर उन्हें उपलब्ध कराना होगा, जिसकी भौतिक निरीक्षण के बाद एकरारनामा का सम्पादन करवाया जायेगा । उपरोक्त आवश्यक योग्यता शर्तों की प्रतिपूर्ति नहीं होने की स्थिति में उपरोक्त सभी शर्तों/कार्यों का सम्पादन जिसमें एकरारनामा करना सम्मिलित होगा 30 दिनों के अन्दर सम्पन्न कर आवंटित कार्य प्रारम्भ करना होगा, अन्य शर्तें जो उसी प्रपत्र की कंडिका 7,10,16,17 में निहित है योग्य होने के लिए आवश्यक है । दुग्ध जन्य उत्पाद के लिए आवेदकों को वितरक (डिस्ट्रीब्यूटर) मार्जिन जो पूर्व घोषित है, मात्र देय होगा । वितरण हेतु परिवहन खर्च देय नहीं होगा, उन्हें अपने खर्च पर बिक्रेताओं के बीच वितरण करना होगा । वितरण का कार्य रेफ्रीजेरेटेड/इन्सुलेटेड गाड़ी से ही करना होगा ।

#### घोषणा:-

मैं/हम घोषणा करता/करती हूँ कि जो भी सूचना प्रपत्र में अंकित की गयी है, वह हमारी जानकारी में सत्य है । अगर कभी भी उपर्युक्त अंकित जानकारी असत्य हो जाती है, तो मेरी उम्मीदवारी बिना कारण स्वतः रद्द समझा जायेगा । उपरोक्त सभी सूचनाएँ की सम्पुष्टि एवं मूल दस्तावेजों की भी जाँच की जा सकती है, जिसके लिए मैं किसी भी समय उपस्थित रहूँगा/रहूँगी ।

आवेदक का हस्ताक्षर  
ऑफिस मुहर के साथ

स्थान :  
दिनांक:

अनुलग्नक :

1. आवेदक के निवास स्थान का प्रमाणित प्रति ।
2. गाड़ी की ऑनर बुक की छाया प्रति एवं निबंधन संख्या ।
3. पैन नम्बर/वैट नं0 की छाया प्रति ।
4. पूर्व अनुभवों से संबंधित कार्यों की छाया प्रति ।
5. शैक्षणिक योग्यता की छाया प्रति ।
6. आवेदक द्वारा स्वयं की गाड़ी नहीं रहने की स्थिति में अन्य वाहन मालिक से प्राप्त सहमति की छाया प्रति ।
7. जमानत की आवश्यक राशि का बैंक ड्राफ्ट मूल रूप में ।
8. वित्तीय स्थिति/साख से संबंधित बैंक का प्रमाण पत्र ।
9. अन्य कोई :



## एकरारनामा

यह एकरारनामा बिहार स्टेट मिल्क को-ऑपरेटिव फेडरेशन लि०, पटना के प्रोडक्ट मार्केटिंग सेल और वितरक मे०..... के बीच पटना के विपणन क्षेत्र संख्या ..... मे अवस्थित रिटेलरों/दुकानदारों/संस्थानों/भोजशालाओं को सुधा मिल्क ब्रान्ड के वितरण हेतु निम्नांकित शर्तों पर की जाती है जिसकी अवधि.....से के लिए मान्य होगी :-

01. पटना शहर के उपरोक्त क्षेत्र में वितरक के रूप में चयन ..... तक के लिए मान्य होगी और कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर दो बार एक-एक वर्ष के लिए अवधि की विस्तार की जा सकेगी ।
02. पटना शहर के विपणन क्षेत्र ..... में अवस्थित रिटेलरों/दुकानदारों संस्थानों/भोजशालाओं को उनके डिमांड के अनुरूप रिटेलिंग दर पर प्रोडक्ट की आपूर्ति प्रतिदिन सुनिश्चित करनी होगी । क्षेत्र के उल्लंघन तथा अपने क्षेत्र में रिटेलरों को प्रोडक्ट की आपूर्ति नहीं करने की स्थिति में आपका डिस्ट्रीब्यूटरशीप रद्द किया जा सकता है ।
03. आवश्यकता पड़ने पर आवंटित क्षेत्र में विस्तार/कमी करने का अधिकार फेडरेशन के पास सुरक्षित रहेगा । इस संबंध में फेडरेशन द्वारा लिया गया निर्णय आपको मान्य होंगे ।
04. समुचित रूप से प्रोडक्ट्स का वितरण नहीं किए जाने तथा प्रोडक्ट्स की डिलीवरी नहीं लिए जाने की स्थिति में सीधे तौर पर अथवा अन्य वितरक के माध्यम से आपके क्षेत्र में प्रोडक्ट का वितरण व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए फेडरेशन स्वतंत्र होगी ।
05. आवश्यकता पड़ने पर आपको दूसरे क्षेत्र में प्रोडक्ट आपूर्ति करने का आदेश दिया जा सकता है जो आपको मान्य होगा ।
06. आपके क्षेत्र में अवस्थित डेकोरेटर्स/केटर्स की सूची (पता सहित) कार्यालय को उपलब्ध करानी होगी तथा आयोजनकर्ताओं से निरंतर सम्पर्क कर उन्हें प्रोडक्ट की आपूर्ति सुनिश्चित करना होगा ।
07. अपने क्षेत्र में अवस्थित सभी रिटेलरों से प्रतिदिन सम्पर्क करना अनिवार्य होगा । पूरे माह में कितने प्रोडक्ट कितने मूल्य का रिटेलरों (रिटेलरवाईज) को आपूर्ति की गई, विवरणी प्रत्येक माह का प्रथम सप्ताह में कार्यालय को उपलब्ध करानी होगी ।
08. वितरक के रूप में एक माह की अवधि पूरी करने के बाद प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में अगले माह का संभावित डिमांड (प्रोडक्ट वाईज) कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा ।

09. प्रत्येक दिन लिखित रूप में 12 बजे दोपहर तक अगले दिन का डिमांड बैंक ड्राफ्ट (जो बिहार स्टेट मिल्क को-ऑपरेटिव फेडरेशन लि० के पक्ष में पटना में भुगतये हो) के साथ अनिवार्य रूप में कार्यालय में जमा करना होगा । निर्धारित अवधि के बाद डिमांड प्राप्त होने पर उसकी आपूर्ति बाधित हो सकती है जिसकी जिम्मेवारी फेडरेशन की नहीं होगी ।
10. पटना शहर के बैंक के बंद रहने अथवा हड़ताल जैसे विशेष परिस्थिति के दिन पूर्व में ही वितरकों द्वारा प्रोडक्ट डिमांड के विरुद्ध अग्रिम भुगतान बैंक ड्राफ्ट/द्वारा अथवा कॉम्फेड के खाता में की जायेगी ।
11. बैंक ड्राफ्ट बनाने में लगने वाले कमीशन का वहन आपको स्वयं करना होगा । फेडरेशन द्वारा निर्धारित वितरकों के कमीशन (मार्जिन) के अतिरिक्त किसी भी मद में कोई भुगतान नहीं किया जायेगा ।
12. सामान्यतः प्रोडक्ट की डिलिवरी जो पटना डेयरी में उत्पादित किए जाते हैं, संध्या 6 बजे से 12 बजे रात्रि तथा मुजफ्फरपुर/बरौनी/आरा /बिहारशरीफ डेयरी में उत्पादित किए जाने वाले प्रोडक्ट की डिलीवरी प्रातः 3 बजे से 11 बजे दिन के बीच की जायेगी । सड़क मार्ग अवरूद्ध रहने तथा मशीनों की खराबी के कारण प्रोडक्ट की डिलेवरी के समय में परिवर्तन हो सकता है जो आपको मान्य होंगे ।
13. प्रोडक्ट का डिमांड विभिन्न संघों को भेज दिए जाने के पश्चात् उसकी आपूर्ति स्वीकार करने की जिम्मेवारी आपकी होगी ।
14. समय-समय पर कमीशन (मार्जिन) में किए जाने वाले परिवर्तन आपको मान्य होगा ।
15. प्रोडक्ट के समुचित रख-रखाव में कमी तथा कोल्ड चेन नहीं मेनटेन करने की स्थिति से प्रोडक्ट रिप्लेसमेन्ट नहीं किए जायेंगे ।
16. एक्सपायरी डेट के भीतर यदि कोई प्रोडक्ट खराब हो जाते हैं तो उसकी वापसी स्वीकार की जायेगी और संबंधित उत्पादित संघ को कार्यालय द्वारा भेज दिया जायेगा परन्तु इसके रिप्लेसमेन्ट संबंधी निर्णय जो संघ द्वारा लिए जायेंगे वह आपको मान्य होगा ।
17. डिमांड के विरुद्ध यदि कोई प्रोडक्ट की आपूर्ति कम मात्रा में की जाती है तो उसके मूल्यों का समायोजन प्रोडक्ट आपूर्ति के विरुद्ध किया जा सकता है जिसके लिए आप स्वतंत्र होंगे ।
18. वितरक द्वारा प्रोडक्ट वितरण के लिए प्रत्येक 30 बूथों पर एक इनसुलेटेड ऑटो तथा तीन से पाँच डीप-फ्रीज (500 लीटर क्षमता के) रखने अनिवार्य होंगे । आवश्यकतानुसार ऑटो तथा डीप-फ्रीज की संख्या आपको बढ़ानी होगी ।
19. व्यवसाय से संबंधित सभी वैधानिक शर्तें पूरी करने की जिम्मेवारी वितरक की होगी । जी०एस०टी० का भुगतान सेल्स टैक्स विभाग में नहीं करने की दशा में, फेडरेशन यह राशि काटकर/समायोजित कर वाणिज्य कर विभाग को भुगतान करने के लिए स्वतंत्र होगा ।

20. पचास हजार रूपये की राशि जमानत के रूप में जमा रहेगी जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा । डिस्ट्रीब्यूटरशीप समाप्ति के पश्चात् यदि कोई बकाया हो तो उक्त राशि की कटौती कर शेष राशि वापस कर दी जायेगी ।
21. व्यवसाय आरंभ करने के लिए आवश्यकतानुसार इन्सुलेटेड बॉक्स रखना अनिवार्य होगा ।
22. दोनों पक्ष एक दूसरे को 30 दिनों की नोटिस देकर व्यवसाय समाप्त करने के लिए स्वतंत्र होंगे ।
23. फेडरेशन/संघ के कोई भी प्राधिकृत सेवक आपके कार्यालय/वितरण व्यवसाय की समीक्षा कर सकते हैं । निरीक्षण के क्रम में आपका सहयोग अपेक्षित होगा ।
24. वर्णित शर्तों के अलावे समय-समय पर फेडरेशन द्वारा निर्गत परिवर्तित आदेश आपको मान्य होगा ।
25. अगर आपके द्वारा अचानक बिना किसी सूचना के वितरण संबंधी कार्य छोड़ा जाता है तो वैसी स्थिति में जमानत की राशि जब्त कर ली जायेगी ।
26. ऐसा कोई कार्य जो संस्था (फेडरेशन/संघ) के हित में नहीं हो, तो बिना कोई सूचना के आपका डिस्ट्रीब्यूटरशीप समाप्त कर दिया जायेगा ।
27. गाड़ियों पर कार्यरत चालक एवं लोडर हमेशा नीला रंग का पैट एवं षर्ट, जिसपर सुधा का लोगो होगा, वितरक द्वारा सुनिश्चित करना आवश्यक होगा ।
28. किसी भी विवाद की स्थिति में प्रबंध निदेशक, कॉम्फेड का निर्णय आपको मान्य होगा ।

सहमति एवं स्वीकार के साथ

वास्ते बिहार स्टेट मिल्क को-ऑपरेटिव  
फेडरेशन लि० ।

(.....)

प्रभारी प्रोडक्ट सेल  
कॉम्फेड, पटना ।

गवाह का नाम पता एवं हस्ताक्षर

गवाह का नाम पता एवं हस्ताक्षर

1.

1.

2.

2.